राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 905वी बैठक दिनांक 28.10.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 905वी बैठक दिनांक 28.10.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :—

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:—

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/707/2024	1(a)	शहडोल	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	P2/1306/2025	1(a)	मण्डला	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/1422/2025	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	P2/1421/2025	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P2/1420/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/1419/2025	1(a)	जबलपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	855/2012	1(a)	रीवा	पत्थर खदान	ADS reaised by SEAC	पुनः SEAC को अग्रेषित
8.	P2/750/2024	1(a)	शहडोल	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
9.	P2/1418/2025	1(a)	गुना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	11324/2023	1(a)	कटनी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 905वी बैठक दिनांक 28.10.2025 का कार्यवाही विवरण

11.	P2/1462/2025	1(a)	भोपाल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	P2/1461/2025	1(a)	श्योपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	P2/1460/2025	1(a)	श्योपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P2/238/2024	1(a)	खरगौन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
15.	P2/234/2024	1(a)	खरगौन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16.	4076/2015	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
17.	2798/2015	1(a)	शहडोल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
18.	3496/2015	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
19.	11238/2023	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
20.	9409/2022	1(a)	रायसेन	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

1. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519783/2025, Case No P2/707/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast Manual Method), in area of 12.117 hectare for production capacity of 219186 cum per annum, at Khasra No.- 197, 203 & 187 in Village-Khamdad, Tehsil- Beohari, District- Shahdol (MP) by Harishankar Shukla M/s The M.P State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Stduy प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Shahdol	Khamdad	197, 203 & 187	2021-22	12.177	1139.5	12.177	1	121770	3	365310	365310	219186	0
			2022-23		1151.4	12.177	3	365310	3.97	483426.9	483426.9	219186	0
			2023-24		1126.4	12.177	3.97	483426.9	4.25	517522.5	517522.5	219186	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replnishiment Stduy डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

2. Proposal No.: SIA/MP/MIN/518349/2025, Case No. P2/1306/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized Method), in area of 1.9 hectare for production capacity of 20000 cum per year, at Khasra No.- 53 in Village- Bhima Tehsil – Bichhiya District-Mandla (M.P.) by Shri Pratik Shrivastava, Owner, Ward No. 02, NH 12 A, Shri Ambika Complex main Road, Bhua Bichhiya, Mandla (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के आदेश कमांक 1391 दिनांक 28.10.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.10.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नाले से न्यूनतम 50 मीटर एवं चेक डेम से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

3. **Proposal No.- SIA/MP/MIN/535766/2025 Case No. P2/1422/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in area of 1.90 hectare for maximum production of 8000 Cu.mt/year Stone (Gitti), 4000 Cu.mt/year M-Sand & 3,649 Cu.mt/year Murram, at Khasra No. 100/2, Village- Badigaon, Tehsil-Gulana District- Shajapur (MP) by saurama bai, R/o-H. No. -18, Sheetla Chowk Modipur Chidawad, M.O Badodiya, Tehsil-M.O Badodiya, District-Shajapur, (M.P.).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. **प्रस्तावित खदान की भूमि** खसरा पंचशाला अनुसार चारागाह **की भूमि है जिसका नोईयत परिवर्तन के संबंध में** परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई **दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।**
2. **प्रकरण में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की अनापत्ति व ठहराव प्रस्ताव में परियोजना प्रस्तावक का नाम** श्रीमती प्रेमबाई अंकित **है जबकि ऑनलाईन फार्म एवं संलग्न दस्तावेजों में परियोजना** प्रस्तावक का **नाम श्रीमती सोरम बाई अंकित है।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत **चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत** प्रकरण **पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।** तदानुसार परियोजना **प्रस्तावक को** सूचित किया **जाये।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

4. **Proposal No.- SIA/MP/MIN/535798/2025 Case No. P2/1421/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized Method), in area of 2.85 hectare for production capacity of 30000, at Khasra No. 11, 14/3, 15/2, Village - Phulwari, Tehsil- Singrauli, District- Singrauli (M.P.) by Shri Ramsumer Vaishy, R/o- Village Bhalugarh, Post-Gondwali, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (M.P.).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के आदेश कमांक 2794 दिनांक 31.07.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **एन.एच. 7 एवं कमर्शियल शेड से न्यूनतम 200 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 18 वृक्षों में से काटे जाने वाले 8 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 80 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। 8 वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

5. **Proposal No.- SIA/MP/MIN/536362/2025 Case No. P2/1420/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Manual Method), in area of 3.00 hectare for production capacity of 12,000 m3/year Gitti, 13,000 m3/Year M-sand & OB 11,842 m3/Year, at Khasra No. 101 & 87 (Pvt. land), Village - Chakmadhavgrh, Tehsil-Nagda, District- Ujjain (M.P.) by Shree Mahakaleshwar Mining LLP, R/o- 109, Magrolal & District-Ujjain(M.P.).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र कमांक 325 दिनांक 06.02.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.02.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

6. Proposal No.- SIA/MP/MIN/518979/2025 Case No. P2/1419/2025 Prior Environment Clearance for Stone, Murum & M.sand Quarry (Opencast Semi Mechanized Method), in area of 2.00 hectare for Production capacity of - Stone 19287 M3 /Year, M.Sand 8265 M3 /Year & Murum 2359 M³/Year, at Khasra No. 212 Part, Village-Mahgawan, Tehsil- Jabalpur District- Jabalpur (MP) by Shri Ashish Kumar Nayak R/o – 33/A, Bramhrishi Colony, Saket Dham Road, Gwarighat, District - Jabalpur & State - (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन फार्म एवं परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में एक वर्ष में गिट्टी का उत्पादन 45000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड का उत्पादन 40000 घनमीटर प्रतिवर्ष बताया गया है। उक्त कार्य सिर्फ 12 मानव दिवस में पूर्ण करना बताया गया है। CAF (8.2.4) जो कि प्रथम दृष्टया गलत जानकारी है। परियोजना प्रस्तावक ने ऑनलाईन फार्म के पार्ट–ए के कमांक 19 पर एम.सेण्ड का उत्पादन 8265 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं गिट्टी का उत्पादन 19287 घनमीटर प्रतिवर्ष तथा मुरूम का उत्पादन 2359 घनमीटर प्रतिवर्ष बताया गया है, जबकि अनुमोदित माईनिंग प्लान में एम.सेण्ड का उत्पादन 40000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं गिट्टी का उत्पादन 45000 घनमीटर प्रतिवर्ष बताया गया है, इस प्रकार दोनो स्थानों पर दी गई जानकारी में विरोधाभाष है एवं जानकारी त्रुटिपूर्ण है। फार्म के पार्ट–ए के सरल कमांक 24 में बताया गया है कि प्रकरण में कोई पर्यावरण सलाहकार नहीं रखा गया है, जबकि ऑनलाईन दस्तावेज में पर्यावरण सलाहकार के रूप में जेनिथ इन्वायरमेन्ट कंसलटेन्सी का शपथ पत्र लगा हुआ है। इस प्रकार पार्ट–ए के सरल कमांक 24 में दी गई जानकारी एवं ऑनलाईन संलग्न किये गये दस्तावेजों की जानकारी विरोधाभाषी होकर त्रुटिपूर्ण है।

फार्म के पार्ट–बी के सरल कमांक 10.1 में किया गया है कि कोई भी Air Pollutant जनरेट नहीं होगा, उक्त जानकारी गलत एवं भ्रामक है। प्रकरण में पीपीटी भी संलग्न नहीं है। ई.एम.पी. के पृष्ठ कमांक 41 पर उल्लेख है कि ब्लास्टिंग नहीं होगी जबकि ऑनलाईन फार्म के पार्ट–बी के सरल कमांक 10.3.1.3 पर उल्लेख है कि कन्ट्रोल ब्लास्टिंग होगी। पीएफआर के पृष्ठ कमांक 19 पर भी उल्लेख है कि ब्लास्टिंग होगी। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा ब्लास्टिंग के संबंध में दी गई जानकारी भ्रामक एवं गलत है। ईएमपी के पृष्ठ कमांक 09 पर 31 वर्कर, CAF के सरल कमांक 8.2.1 पर 8 वर्कर दर्शाये गये है इस प्रकार वर्कर के बारे में दी गई जानकारी विरोधाभाषी है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉस्ट इन्वायरमेन्ट मॉनिटरिंग के लिये बजट व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपर्युक्तानुसार अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने के कारण पर्यावरण स्वीकृति का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इस संबंध में ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा 8(ii) के परिप्रेक्ष्य में SEAC का अभिमत लिया जावे एवं तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

7. **Proposal No.- SIA/MP/MIN/534986/2025 Case No. 855/2012 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized Method), in area of 04.642 Hectares, for production capacity of 28000 cum/year, at Village.-Sumeda, Teh.-Huzoor, Dist.- Rewa (M.P.) by M/s. Tathagat Stone Pvt. Ltd., Village Sumeda, P.O. Bihra, Teh. Huzoor, Dist. Rewa (M.P.) EC Validity Extension.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

" समिति ने उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा उनके पत्र कमांक 30/07/2021 के माध्यम से एकीकृत क्षे.का., वन पर्यावरण एवं ज लवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल को प्रस्तुत की गई ईसी कम्पलाईन्स रिपोर्ट का परीक्षण करने के उपरान्त पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित शर्तो का पालन प्रतिवेदन अन्तर्गत प्रस्तुत जानकारी अधूरी अथवा अपूर्ण है

- *पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित मे से कितने पेड़ लगाये गये हैं उनका जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित पूर्ण विवरण (प्रजाति, गोलाई आदि) प्रस्तुत करें। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित सामाजिक पर्यावरण किये गये कार्यों का प्रमाणिक विवरण।*
- *पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ, प्रमाणित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें।*
- *मध्यप्रदेश प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ रिनुअल से संबंधित जानकारी ।*
- *चूँकि लीज क्षेत्र निजी भूमि पर प्रस्तावित है अतः भूमि स्वामित्व/सहमति के दस्तावेज।*

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जावेगा। '

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में SEAC समिति द्वारा 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी चाही गई है किन्तु प्रकरण में ADS जारी न करते हुए प्रकरण SEIAA को बिना अनुशंसा के अग्रेषित कर दिया गया है। अतः प्रकरण पुनः SEAC को अग्रेषित किया जाये एवं SEAC द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाये कि परियोजना प्रस्तावकों से चाही गई वांछित जानकारी के प्रकरणों को बिना अनुशंसा के SEIAA को अग्रेषित न किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. Proposal No.: SIA/MP/MIN/535950/2025 Case No. P2/750/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast Manual Method), in area of 9.00 Hectares for production capacity of 62000 cum per annum, at Khasra No. 1, 360, Village.- Ajeeta, Tehsil - Mehgaon, District - Bhind(M.P.). The MP State Mining Corporation Limited, Shri Ramakant Panday authorized person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 804वी बैठक दिनांक 24.06.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 06/04/2026 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 46,080 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की 46,080 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है। ऐसी स्थिति में उसी मात्रा की पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं पाया गया है।'

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 804वी बैठक दिनांक 24.06.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

9. **Proposal No.- SIA/MP/MIN/535634/2025 Case No. P2/1418/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized Method), in area of 2.884 Ha., for production capacity of 40,000 m3/year Stone (Gitti) & 26,000 m3/year M-Sand at khasra No. 1304/1/2/1, 1304/1/2/2, 1304/1/3/2, 1304/2/1/2, 1304/2/3 and 1308, Village - Awan, Tehsil- Raghogarh, District- Guna (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के आदेश कमांक 935 दिनांक 15.02.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.02.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10. Proposal No.: SIA/MP/MIN/472429/2023 Case No. 11324/2023 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast Manual Method), in area of 3.50 Hectares for production capacity of 52500 cum per annum, at Khasra No. 181, Village.-Bhadaura, Tehsil-Badwara, District-Katni (M.P.). The MP State Mining Corporation Limited, Shri Sushil Pathak authorized person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 806वी बैठक दिनांक 30.06.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि लीज क्षेत्र के उत्तर पूर्व दिशा में एक रोडब्रिज 77 मी. की दूरी पर स्थित है सेंड माईनिंग गाईडलाईन वर्ष 2016 एवं 2020 के अनुसार रोडब्रिज के दोनो ओर निर्धारित दूरी छोड़ने पर लीज क्षेत्र का मात्र 114 मी. क्षेत्र उपलब्ध होता है जो कि पूर्णतः जल मग्न है अतः खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। इस संदर्भ में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया ।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 806वी बैठक दिनांक 30.06.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

11. Proposal No.- SIA/MP/MIN/532407/2025, Case No. P2/1462/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized Method), in area of 3.490 Ha., for production capacity of 25,697.5 m3/year Stone (Gitti) & 25,697.5 m3/year M-Sand at khasra No. 177 & 178, Village - Kuthar, Tehsil Huzur, District Bhopal (M.P.) by Shri Nishant Sharma, R/o H. No. 77 Sawan Nagar, Lalghati, District - Bhoapl (M. P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 806वी बैठक दिनांक 30.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य **स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 806वी बैठक दिनांक 30.06.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के आदेश कमांक 705 दिनांक 10. 03.2025 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.03.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 27 पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं खदान क्षेत्र के बीच में मौजूद 07 नीम के वृक्षों को विस्थापित करने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा तथा शेष वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस--पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12. Proposal No.- SIA/MP/MIN/518567/2025, Case No. P2/1461/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized Method), in area of 4.00 Ha., for production capacity of 1,00,001 m3/year (Boulder -5,001 m3/year, Gitti-35,000 m3/year & M-Sand -60,000 m3/year), at khasra No. 213, Village - Daula Ka Pura, Tehsil – Sheopur, District- Sheopur (M.P.) by M/s Balaji Stone Crusher, 62, Near Railway Crossing, Bypass Road, Ward No. 8, Sheopur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 806वी बैठक दिनांक 30.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 806वी बैठक दिनांक 30.06.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के आदेश कमांक 8032 दिनांक 28.06.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.06.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नदी से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

13. Proposal No.- SIA/MP/MIN/521236/2025, Case No. P2/1460/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized Method), in area of 2.00 Ha., for production capacity of 20000 m3/year (Boulder - 3,000 Cubic Meter/year, Gitti- 15,000 Cubic Meter/year & M-Sand -2,000 Cubic Meter/year), at khasra No. 876/2, Village - Kailor, Tehsil – Karahal, District- Sheopur (M.P.) by Shri Puran Chand Shivhare, 73, F.C.I. Godam Ke Saamne, Pali Road Sheopur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 806वी बैठक दिनांक 30.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 806वी बैठक दिनांक 30.06.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के आदेश कमांक 9302 दिनांक 31. 07.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

14. Proposal No.: SIA/MP/MIN/472429/2025 Case No. P2/238/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast Manual Method), in area of 7.652 Hectares for production capacity of 15000 cum per annum, at Khasra No. 132/1, 133, Village.- Gangatkhedi, Tehsil - Maheshwar, District - Khargone (M.P.). The MP State Mining Corporation Limited, Shri Himmat Sisodia authorized person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 807वी बैठक दिनांक 03.07.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया निम्नानुसार पाया गया :–

1. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत पर्यावरण सलाहाकार शपथ पत्र में अधिकृत पर्यावरण सलहाकार के हस्ताक्षर नहीं है।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

15. Proposal No.: SIA/MP/MIN/518696/2025 Case No. P2/234/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast Manual Method), in area of 4.00 Hectares for production capacity of 10000 cum per annum, at Khasra No. 49, Village.- Bhasunda, Tehsil - Maheshwar, District - Khargone (M.P.). The MP State Mining Corporation Limited, Shri Himmat Sisodia authorized person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 807वी बैठक दिनांक 03.07.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार उक्त खदान क्षेत्र का पूर्ण भाग पूरे वर्ष जलमग्न होना परिलक्षित है, जिस कारण उक्त खदान से रेत का खनन किया जाना संभव नहीं है। जबकि SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण उक्त खदान जलमग्न होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

16. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/474973/2024 Case No. 4076/2015** Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi-Mechanized method) in an area of 4.00 ha. for production capacity of 23,520 cum/year at Khasra no.-57, Village-Dhol, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) by Shri Chandan Chandani S/o Shri Suresh Chandani, 169, Paraspar Nagar, District-Indore (MP) - 454001 **Regarding Transfer of EC in the name of** M/s Unique Mines Partner Shri Kamran Khan, Pearl Garden bypass road Dharmpuri Tehsil Dharmpuri District Dhar (MP)

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 890वी बैठक दिनांक 21.08.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. *पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Chandan Chandani S/o Shri Suresh Chandani, 169, Paraspar Nagar, District-Indore (MP) - 454001, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s unique mines Partner Shri Kamran Khan, Pearl Garden bypass road Dharmpuri Tehsil Dharmpuri District Dhar (MP) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।*

II. *नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s unique mines Partner Shri Kamran Khan, Pearl Garden bypass road Dharmpuri Tehsil Dharmpuri District Dhar (MP) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।*

III. *एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 1947 दिनांक 13.06.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।*

IV. *NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।*

V. *नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।*

VI. *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार का आदेश क. 391 दिनांक 14.02.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 15.11.2030 तक) की प्रति।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. ***पूर्व परियोजना प्रस्तावक की अनापत्ति एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र की नोटराईज्ड प्रति।***
2. ***पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन।***
3. ***पर्यावरण सलाहकार संस्था का वैध प्रमाण पत्र।***

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 3 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों एवं ADS reply **के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक** Shri Chandan Chandani S/o Shri Suresh Chandani, 169, Paraspar Nagar, District-Indore (MP) - 454001 **के नाम** Stone Quarry (Opencast Semi-Mechanized method) in an area of 4.00 ha. for production capacity of 23,520 cum/year at Khasra no.-57, Village-Dhol, Tehsil- Dharampuri, District-Dhar (MP) **की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक** M/s Unique Mines Partner Shri Kamran Khan, Pearl Garden bypass road Dharmpuri Tehsil Dharmpuri District Dhar (MP) **के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–**

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.06.2016 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार का लीज हस्तांतरण आदेश क. 391 दिनांक 14.02.2024 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 15.11.2030 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. **नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तो अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14. 06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

17. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519327/2025 Case No. – 2798/2015 Prior Environmental Clearance for Bhanni Stone Mine (Opencast Semi Mechanized Method) in an area - 1.00 ha. for production capacity of 5,000 cum/year at Khasra No. – 326/1 ka & 326/1 kha at Village-Kanchanpur, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (M.P.) by Shri Rakesh Agrawal, M/s Rakesh Stone Crushing Industry, Deepshikha Bhawan, Civil Lines, Shahdol (MP)-484001 Regarding transfer of EC in the name of Smt. Sudha Agarwal R/o Ward No. 11 house No. 11/354 Deepshika Bhawan Civil line, Sohagpur, Shahdol (M.P.) 484001

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 891वी बैठक दिनांक 22.08.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" *नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–*

I. *नवीन परियोजना प्रस्तावक Smt. Sudha Agarwal R/o Ward No. 11 house No. 11/354 Deepshika Bhawan Civil line, Sohagpur, Shahdol (M.P.) 484001 के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।*

II. *एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 10341 दिनांक 05.01.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।*

III. *NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।*

IV. *नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।*

V. *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शहडोल का आदेश क्र. 1003 दिनांक 10.08.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 11.02.2026 तक) की प्रति।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. ***पूर्व परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत अनापत्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।***
2. ***नवीन परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र।***
3. ***पूर्व परियोजना प्रस्तावक का मृत्यु प्रमाण पत्र।***

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 3 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 905वी बैठक दिनांक 28.10.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों एवं ADS reply के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Shri Rakesh Agrawal, M/s Rakesh Stone Crushing Industry, Deepshikha Bhawan, Civil Lines, Shahdol (MP)-484001** के नाम **Stone Mine (Opencast Semi Mechanized Method) in an area - 1.00 ha. for production capacity of 5,000 cum/year at Khasra No. – 326/1 ka & 326/1 kha at Village-Kanchanpur, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (M.P.)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **Smt. Sudha Agarwal R/o Ward No. 11 house No. 11/354 Deepshika Bhawan Civil line, Sohagpur, Shahdol (M.P.) 484001** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 05.01.2016 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शहडोल का लीज हस्तांतरण आदेश क. 1003 दिनांक 10.08.2024 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 11.02.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14. 06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

18. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/502898/2024, Case No. 3496/2015:** Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized/Manual Method) in an area of 2.00 ha. for production capacity of 11,100 cum/year at Khasra no. 149 (Part) at Village - Chakjairampur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (M.P.) by M/s Angareswar Infrastructure Pro. Smt. Preeti Bhati, 5/5, Urdupura, Rassi Gali, Ujjain (MP) **Regarding transfer of EC in the name of Shri** Sunil Kumar Baurasia R/o A 23 Anand Nagar District Ujjain (M.P.).

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 890वी बैठक दिनांक 21.08.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. *एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 11607 दिनांक 26.02.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं पत्र क्र. 2151 दिनांक 01.10.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की प्रति।*

II. *नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।*

III. *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन का आदेश क्र. 701 दिनांक 16.03.2023 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 28.05.2028 तक) की प्रति।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. ***पूर्व परियोजना प्रस्तावक की अनापत्ति एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक के नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति।***
2. ***पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार पर्यावरण प्रबंधन योजना** (EMP) **।***
3. *SEIAA **द्वारा निर्धारित प्रकिया शुल्क पावती।***
4. ***पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन।***
5. ***पर्यावरण सलाहकार संस्था का वैध प्रमाण पत्र।***

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 5 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 905वी बैठक दिनांक 28.10.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों व ADS reply के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक M/s Angareswar Infrastructure Pro. Smt. Preeti Bhati, 5/5, Urdupura, Rassi Gali, Ujjain (MP) के नाम Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized/Manual Method) in an area of 2.00 ha. for production capacity of 11,100 cum/year at Khasra no. 149 (Part) at Village - Chakjairampur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (M.P.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Sunil Kumar Baurasia R/o A 23 Anand Nagar District Ujjain (M.P.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 26.02.2016 एवं हस्तांतरित पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 01.10.2021 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन का लीज हस्तांतरण आदेश क. 701 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 28.05.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14. 06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

19. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/521776/2024** प्रकरण क्र.11238 / 2024 परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक जैन आत्मज श्री अभय कुमार जैन, निवासी – ग्राम लबरिया, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14700 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर (खनन हेतु SEAC द्वारा अनुशंसित रकबा 1.0658 हेक्टेयर), खसरा नं. 707 (नया खसरा 1912), ग्राम – बोडिया, तहसील सरदारपुर जिला धार (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पाटीदार, निवासी– ग्राम जलोदखेता, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 891वी बैठक दिनांक 22.08.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. *एसईआईएए द्वारा पत्र दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।*

II. *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार का आदेश क्र. 2247 दिनांक 13.09.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 28.04.2031 तक) की प्रति।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. *पूर्व परियोजना प्रस्तावक की अनापत्ति एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र की नोटराईज्ड प्रति।*
2. *प्रकिया शुल्क की पॉवती।*

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 2 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 12.09.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों व ADS reply के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक जैन आत्मज श्री अभय कुमार जैन, निवासी – ग्राम लबरिया, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) के नाम पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14700 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर (खनन हेतु SEAC द्वारा अनुशंसित रकबा 1.0658 हेक्टेयर), खसरा नं. 707 (नया खसरा 1912), ग्राम – बोडिया, तहसील सरदारपुर जिला धार (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पाटीदार, निवासी– ग्राम जलोदखेता, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 21.06.2024 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार का लीज हस्तांतरण आदेश क. 2247 दिनांक 13.09.2024 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 28.04.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

20. Proposal No.: SIA/MP/MIN/518878/2025, प्रकरण क्र. 9409द2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सना उल हक आत्मज श्री सई दुल हक, निवासी तालाब रोड़, फारेस्ट डिपो, रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2400 प्रतिवर्ष, रकबा 1.214 हेक्टेयर, खसरा 209, ग्राम अजायबनगर (सुण्ड), तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री फैजल खान, निवासी– 256, वार्ड नं. 09, तालाब मोहल्ला, जिला रायसेन (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत् ।.

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 890वी बैठक दिनांक 21.08.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. *पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Sana Ul Haq S/o Shri Saidul Haq, Talab Road, Dist. Raisen (M.P.), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Faisal khan R/o 256, ward no 09, Talab Mohllah, Raisen (M.P.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबंध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।*

II. *नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Faisal khan R/o 256, ward no 09, Talab Mohllah, Raisen (M.P.)के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।*

III. *एसईआईएए द्वारा पत्र दिनांक 26.05.2023 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।*

IV. *NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।*

V. *नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।*

VI. *संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क्र. 6967–70 दिनांक 01.07.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 13.07.2033 तक) की प्रति।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. ***संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश दिनांक 01.07.2024 द्वारा लीज हस्तांरण आदेश की मूलप्रति संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत की जाये।***
2. ***पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन।***

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 2 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 12.09.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 905वी बैठक दिनांक 28.10.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों व ADS reply के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सना उल हक आत्मज श्री सई दुल हक, निवासी तालाब रोड़, फारेस्ट डिपो, रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) के नाम फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2400 प्रतिवर्ष, रकबा 1.214 हेक्टेयर, खसरा 209, ग्राम अजायबनगर (सुण्ड), तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पाटीदार, निवासी– ग्राम जलोदखेता, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 26.05.2023 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल का लीज हस्तांतरण आदेश क. 6968–70 दिनांक 01.07.2024 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 13.07.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. **नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तो अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14. 06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**